



निगरानी 4739/2018/सीधी/भू.सं.

330

1. जगदीश प्रसाद तनय भैयालाल श्रीवास्तव उम्र 64 वर्ष पेशा सेवानिवृत्त कर्मचारी
2. प्रेमचन्द्र तनय भैयालाल श्रीवास्तव उम्र 50 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी

दोनो निवासी ग्राम जमुआ नम्बर 2 तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

—आवेदकगण / निगरानीकर्ता

बनाम

1. ध्यान सिंह तनय बुच्चड सिंह गोड उम्र 65 वर्ष पेशा खेती
2. राममिलन तनय सरिमन सिंह गोड उम्र 62 वर्ष पेशा खेती
3. जोखई सिंह तनय शंकर सिंह गोड उम्र 70 वर्ष पेशा खेती
4. छोटेलाल तनय बहादुर सिंह गोड उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
5. राजभान सिंह तनय बहादुर सिंह गोड उम्र 42 वर्ष पेशा खेती
6. बेवा बुटइया पत्नी स्व.बहादुर सिंह गोड उम्र 63 वर्ष पेशा गृहकार्य
7. श्रीमती कुसुमवती पुत्री स्व. बहादुर सिंह गोड उम्र 36 वर्ष पेशा गृहकार्य
8. जग्यभान सिंह तनय बुच्चड सिंह गोड उम्र 60 वर्ष पेशा खेती
9. दादूलाल तनय भोला सिंह गोड उम्र 63 वर्ष पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी
10. मोहन सिंह गोड तनय पियारे सिंह गोड उम्र 45 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम जमुआ नम्बर 2 तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

—अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क्रमांक
01/अपील / 2013-14 में पारित आदेश दिनांक
25.06.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता

23/06/18
23/06/18

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक 173/1.46
175/1.49, 176/1.49, एवं भूमि खसरा क्रमांक 182/3.45 एकड स्थित ग्राम
जमुआ नम्बर 2, तहसील मझौली जिला सीधी को अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

330

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगम/4739/18/सीधी/भू.र.स. जागेश्वर/ध्यान सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-12-18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रुस्तुम अकबर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>01/अपील/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>25/06/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	

